

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन ⁶⁰⁸⁴⁵⁻⁵³ दिनांक 25 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन: 55146-153 दिनांक 26 अगस्त, 2020 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुर्नगठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों /सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः जिला मण्डी की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।


क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में शेष बचे ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	
1	विकास खण्ड सुन्दरनगर:						
	1 सलापड	1 सुदाहन	1 खुराहल	सलापड कलौनी	1 सलापड	1 सुदाहन	
		2 खुराहल			2 खुराहल	2 सलापड	
		3 सलापड					
	2 बायला	1 वहल	चहडी	जडोल	1 चहडी	1 वहल	
		2 सिंहली			2 जडोल	2 सिंहली	
		3 कुराडा				3 कुराडा	
		4 वायला				4 वायला	
		5 वहलग				5 वहलग	
		6 रोपडी				6 रोपडी	
		7 चहडी					

2	विकास खण्ड गोहर					
1 लोट	1 सेरी	डीपी एफ टुंगरासन	काण्डी कमरूनाम	1 डीपी एफ टुंगरासन	1 सेरी	
	2 डीपी एफ टुंगरासन			2 छैनमैगल	2 मुरहाला	
	3 मुरहाला			3 कण्डी	3 डीपी एफ दैन्त	
	4 डीपी एफ दैन्त			4 समनोस	4 चतुरहण	
	5 चतुरहण			5 डीपी एफ गौलहन	5 डीपी एफ बखरयार	
	6 डीपी एफ बखरयार			6 डीपी एफ कमरूनाग	6 लोट	
	7 लोट			7 डीपी एफ काण्डी	7 डीपी एफ धार	
	8 डीपी एफ धार			8 डीपी एफ लोटपुखर	8 डीपी एफ झुर्डी	
	9 डीपी एफ झुर्डी			9 डीपी एफ नरैहल	9 डीपी एफ दयोट	
	10 डीपी एफ दयोट			10 डीपी एफ काण्ढली	10 भूरला	
	11 भूरला			11 डीपी एफ कनजिहरा	11 गणि	
	12 गणि					
2 रोपडी	1 भैला	गदियाडा	गोलवां	1 गदियाडा	1 भैला	
	2 कोछू			2 दलेहड	2 कोछू	
	3 रोपडी			3 गोलवां	3 रोपडी	
	4 बजरोड			4 द्रमण	4 बजरोड	
	5 डुधली			5 निरोहली	5 डुधली	
	6 धमीरू			6 पन्तेहड	6 धमीरू	
	7 कुनी			7 साननखेडा	7 कुनी	
	8 गदियाडा			8 कलैहडु	8 सिहारल	
	9 सिहारल			9 चिहड		

आदेश द्वारा
सचिव (पचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: पीसीएच-एचए(1)2/2019- विभाजन/पुर्नगठन 60845-853 दिनांक 25 सितम्बर, 2020
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

- 1 उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
- 2 सचिव ,राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
- 3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी , जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
- 4 समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
- 5 समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.